AFR

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

डब्ल्यू.पी.सी. क्रमांक 222 का 2020

डीसीबी बैंक लिमिटेड प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता गैस्पर तिग्गा के द्वारा, निवासी पंजीकृत कार्यालय 6 वीं मंजिल, टावर ए, पैन बिजनेस पार्क, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई, शाखा कार्यालय गनी प्लाजा, देवेंद्र नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़, 492001 पुलिस स्टेशन देवेंद्र नगर

---- याचिकाकर्ता

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा सचिव, राजस्व विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, सचिवालय, महानदी भवन, नया रायपुर, रायपुर 492001
2. जिला मजिस्ट्रेट रायपुर, जिला कलेक्टर कार्यालय, रायपुरए छत्तीसगढ़ 492001
3. श्रीमति दंतेश्वरी इंडस्ट्रीज, निवासी ग्राम सिनोधा, तहसील तिल्दा नेवरा, जिला रायपुर छत्तीसगढ़
4. श्रीमती सीमा शर्मा, निवासी ग्राम सिनोधा, तहसील तिल्दा नेवरा, जिला रायपुर छत्तीसगढ़
5. संतोष शर्मा, निवासी ग्राम सिनोधा, तहसील तिल्दा नेवरा, जिला रायपुर छत्तीसगढ़
6. अमित सोंधी, निवासी ग्राम सिनोधा, तहसील तिल्दा नेवरा, जिला रायपुर छत्तीसगढ़
7. गोविंद प्रसाद शर्मा निवासी ग्राम सिनोधा, तहसील तिल्दा नेवरा, जिला रायपुर छत्तीसगढ़

---- उत्तरवादीगण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता की ओर से : श्रीमान भावेश आचार्य, अधिवक्ता
राज्य की ओर से : श्रीमान वी. आर. तिवारी, अतिरिक्त महान्यायवादी

माननीय न्यायमुर्ति श्री पी. सैम. कोशी

आदेश

05/02/2020

1. वर्तमान रिट याचिका में मांगी गई अनुतोष प्रतिवादी क्रमांक 2 को सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत यथाशीघ्र उचित निर्णय लेने के लिए उचित निर्देश देने बाबत है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. याचिकाकर्ता के अनुसार वे औद्योगिक संपत्ति के संबंध में सुरक्षित लेनदार हैं, जो कि खसरा क्रमांक 401/8, पुराना प्लाट क्रमांक 6 और प्लाट क्रमांक 19 के एक हिस्से में स्थित है, जिसका माप 99138 वर्ग फीट है, सिनोधा आर एन एम तिल्दा जिला रायपुर, आवासीय संपत्ति खसरा क्रमांक 248 प्लाट 15, शीट क्रमांक 3, प्लॉट क्रमांक 92, माप 2430 वर्ग फीट, गांधी चौक, बाजारपारा, तिल्दा जिला रायपुर, आवासीय संपत्ति खसरा क्रमांक 247/2, प्लाट क्रमांक 18, शीट क्रमांक 3 प्लॉट क्रमांक 64 और 65, माप 2772 वर्ग फीट, गांधी चौक के पास, बाजारपारा, तिल्दा, जिला रायपुर में स्थित है। याचिकाकर्ता के अनुसार उन्होंने पहले ही धारा 13(2) और धारा 13(4) के तहत उधारकर्ताओं को नोटिस जारी कर दिया था और बाद में उन्होंने धारा 14 के तहत एक आवेदन दिया था, साथ ही 9 बिंदुओं के साथ एक हलफनामा भी दिया था जैसा कि 28.03.2019 को धारा 14(1) के उपबंध खण्ड 2 के तहत आवश्यक है। लेकिन आज तक प्रतिवादी क्रमांक 2 ने उक्त आवेदन पर कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया है। याचिकाकर्ता की आगे की शिकायत

यह है कि याचिकाकर्ताओं ने धारा 14 के तहत एक आवेदन दिया है, मजिस्ट्रेट ने उधारकर्ता को नोटिस जारी किया है जो कि धारा 14 के उपबंध के अनुसार आवश्यक नहीं है और उधारकर्ताओं को नोटिस जारी करने से मामला अनावश्यक रूप से विलंब हो रहा है और इसलिए प्रतिवादी क्रमांक 2 को मामले को जल्द से जल्द तय करने के लिए उचित निर्देश दिया जाना चाहिए।

3. याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई इस सीमित शिकायत पर राज्य के पैरवीकर्ता को कोई आपत्ति नहीं है।

4. जहां तक सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रतिवादी क्रमांक 2 द्वारा की गई कार्यवाही का संबंध है, विशेष रूप से इस मुद्दे पर कि क्या धारा 14 के तहत नोटिस जारी किया जाना है या नहीं, **आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड बनाम श्री कार्नेट एलियास फर्नांडीस वर्मालयम** निर्णय दिनांक 13.07.2018 के मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के हाल ही के डिवीजन बेंच के फैसले का संदर्भ देना प्रासंगिक होगा, जिसमें डिवीजन बेंच ने बहुत स्पष्ट शब्दों में पैराग्राफ 27 से 29 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है–

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"27. हमें उक्त तर्क में भी कोई गुण नहीं मिला। उठाया गया मुद्दा तथ्य का प्रश्न था कि क्या याचिकाकर्ता पट्टा करार के आधार पर प्रश्नगत डब्ल्यू ए क्रमांक 784/2018 संपत्ति के कब्जे में है। उक्त निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय (2014)6 एस सी सी 1(हर्षद गोवर्धन सोंडागर बनाम अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड और अन्य) का संदर्भ दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि अधिनियम की धारा 14 के तहत आवेदन पर विचार करते समय इस तरह के प्रश्न का निर्णय किया जाना आवश्यक है। लेकिन, वर्तमान मामला ऐसा नहीं है, कि इस तरह के किसी प्रश्न का निर्णय किया जाना आवश्यक हो। प्रश्नगत संपत्ति अपीलकर्ता के पक्ष में बंधक रखी गई है, इसलिए यह एक सुरक्षित संपत्ति है। सुरक्षित संपत्तियों के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट, अधिनियम की धारा 14 के अनुसार सुरक्षित लेनदार को भौतिक

कब्ज़ा सौंपने के लिए बाध्य है। इसलिए, ऐसा निर्णय उठाए गए तर्क को कोई सहायता नहीं देता है।

28. यह तर्क कि रिट याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, फिर से मान्य नहीं है। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने 2007 क्रि. ला. ज. 2544 (बाम्बे) (ट्रेड वेल बनाम इंडियन बैंक) के रूप में प्रकाशित किए गए एक निर्णय में यह माना है कि जिला मजिस्ट्रेट को उधारकर्ता या तीसरे पक्ष को नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है। उसे केवल बैंक से यह सत्यापित करना है कि अधिनियम की धारा 13(2) के तहत नोटिस जारी किया गया है या नहीं। उक्त निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा (2013) 9 एससीसी 620 (स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक आदि बनाम नोबल कुमार एवं अन्य) के रूप में प्रकाशित किए गए निर्णय में अनुमोदन के साथ उद्धृत किया गया है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था–

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. हालाँकि बॉम्बे उच्च न्यायालय ने ट्रेड वेल बनाम इंडियन बैंक 2007 क्रि. ला. ज. 2544 (बाम्बे) में अभिमत दिया कि;

2. एन पी ए अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत कार्य करने वाले सी एम एम/डी एम को या तो उधारकर्ता या तीसरे पक्ष को नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है।

3. उसे बैंक या वित्तीय संस्थान से केवल यह सत्यापित करना है कि एनपीए अधिनियम की धारा 13(2) के तहत नोटिस दिया गया है या नहीं और क्या सुरक्षित संपत्ति उसके अधिकार क्षेत्र में आती है। इस

स्तर पर किसी भी प्रकार का कोई न्यायनिर्णयन डब्लू ए क्रमांक 784/2018 नहीं है।

4. केवल तभी जब उपरोक्त शर्तें पूरी न हुई हों कि सी एम एम/ डी एम एनपीए अधिनियम की धारा 14 के तहत आदेश पारित करने से इंकार कर सकते हैं यह दर्ज करते हुए कि उपरोक्त शर्तें पूरी नहीं की गयी हैं। यदि ये दोनों शर्तें पूरी होती हैं, तो वह धारा 14 के तहत आदेश पारित करने से इंकार नहीं कर सकते। कथित निर्णय मद्रास उच्च न्यायालय के द्वारा इंडियन ओवरसीज बैंक बनाम श्री अरविंद स्टील्स लिमिटेड [ए आई आर 2009 मद्रास 10] में अनुशरण किया गया। तत्पश्चात, संसद ने 2013 के अधिनियम 1 के द्वारा धारा 14(1) में एक उपबंध और उपधारा (1–A) जोड़ा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

25. धारा 14(1) के दूसरे उपबंध के तहत मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के लिए मजिस्ट्रेट को ऐसे हलफनामे में किए गए दावों की तथ्यात्मक सत्यता की जांच करनी होगी, लेकिन लेनदेन की कानूनी बारीकियों की नहीं। अपनी संतुष्टि दर्ज करने के बाद ही मजिस्ट्रेट सुरक्षित परिसंपत्ति पर कब्ज़ा लेने के बारे में उचित आदेश पारित कर सकता है।

29. इस प्रकार, अधिनियम की धारा 14 के तहत कार्यवाही पक्षकारों के अधिकारों का न्यायनिर्णयन करने की कार्यवाही नहीं है। इसलिए, देनदार को कोई नोटिस देने की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि ऐसी कार्यवाही अधिनियम की धारा 13 के तहत नोटिस देने के बाद ही की जाती है।

5. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने डीसीबी बैंक लिमिटेड बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य डब्ल्यू पी सी 22260/18 निर्णय दिनांक 10.10. 2018 के मामले में डिवीजन बेंच के उक्त दृष्टिकोण को फिर से दोहराया जिसमें स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक आदि बनाम नोबल कुमार एवं अन्य (2013) 9 एससीसी 62 और आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड (सुप्रा) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया गया और यह अभिनिर्धारित किया गया कि–

"हम पाते हैं कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश अस्थिर है, क्योंकि इसमें उधारकर्ता को कोई नोटिस देने का विचार नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता ने 16.10.2017 को धारा 14 के तहत एक आवेदन दायर किया है और 2 अगस्त 2018 को विवादित आदेश पारित करने से पहले पक्षों को कई अवसर दिए गए थे। 10 लाख रुपये के भुगतान का आरोप उधारकर्ता द्वारा बिना किसी सबूत या सहायक दस्तावेज़ के किया गया प्रयास प्रतीत होता है। इसलिए, हम पाते हैं कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिनियम की धारा 14 के अनुसार सुरक्षित परिसंपत्तियों पर कब्ज़ा करने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए याचिकाकर्ता के दावे को खारिज करना उचित नहीं था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. उपरोक्त निर्णयों और धारा 14 के प्रावधानों पर विचार करते हुए, इस यालय को यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि उधारकर्ताओं को नोटिस देना आवश्यक या न्यायोचित नहीं था। हालाँकि, चूँकि नोटिस जारी किया गया है, इसलिए वर्तमान रिट याचिका का भी निपटारा किया जा सकता है, इसलिए प्रतिवादी क्रमांक 2 को निर्देश दिया जाता है कि वह याचिकाकर्ता के आवेदन पर जल्द से जल्द निर्णय लें, अधिमानतः इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से 60 दिनों की अवधि के भीतर।

7. उपरोक्त अवलोकनों के साथ इस रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

एसडी/-

(पी० सैम कोशी)
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur